

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

राजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141-2228061-62, फ़ैक्स नः 0141-2228065

CIN: U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल :rmssc.supply1@gmail.com

Website : http://rmssc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.4 (1)/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/अन्तर DDW परिवहन/2021-23/1764 दिनांक: 22.09.2021


ई-निविदा सूचना

निगम के जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहों (Inter DDW/MCDW) से औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के राज्य के जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला औषधि भण्डार गृहों तक अन्तर जिला औषधि भण्डार गृह परिवहन कार्य (Inter DDW/MCDW Transfer) एवं NOSQ औषधियों के राज्य एवं राज्य से बाहर परिवहन हेतु 24 माह के लिए दर सविदा हेतु परिवहन व्यवसाय अन्तर्गत पंजीकृत/अनुभवी संस्थाओं/कोरियर सेवा प्रदाताओं से ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। ई-निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होंगी। ई-निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय समय में ई-निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 12.10.2021 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी एवं दिनांक 12.10.2021 को सांय 04:00 बजे उपस्थित ई-निविदादाताओं के समक्ष निगम मुख्यालय पर खोली जाएगी।

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ लाखों में) 2% के पेटे घोषणा पत्र	ई-निविदा शुल्क (₹)	प्रोसेसिंग फीस	प्री-बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारंभ की तिथि	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	कॉल्ड चैन अन्तर्गत औषधियाँ आदि के कार्टून अन्तर जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (Inter DDW/MCDW) / निगम मुख्यालय पर परिवहन कार्य (राज्य एवं राज्य से बाहर)	120.00	2.40	2000.00	1000/-	27.09.2021	30.09.2021	11.10.2021	12.10.2021	12.10.2021
2.	नॉन कॉल्ड चैन अन्तर्गत औषधियाँ/ आदि के कार्टून अन्तर जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (Inter DDW/MCDW) / निगम मुख्यालय पर परिवहन कार्य (राज्य एवं राज्य से बाहर)					सांय 3.00 बजे		सांय 6.00 बजे तक	दोपहर 12.00 बजे तक	सांय 04.00 बजे

नोट:- वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बोली प्रतिभूति के पेटे राशि रू. 50/- के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

ई-निविदा प्रपत्र वेबसाईट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट "www.dipronline.org", "sppp.rajasthan.gov.in" एवं "<http://rpsc.health.rajasthan.gov.in>" पर देखा जा सकता है। ई-निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 2000.00, RISL प्रोसेसिंग फीस, राशि रू. 1000.00 के अलग-अलग डी.डी./बी.सी. व बोली प्रतिभूति (bid security) के पेटे राशि रू. 50/- के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र दिनांक 12.10.2021 दोपहर 12.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा तीन पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-'श') द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या-2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा दिनांक 12.10.2021 दोपहर 12.00 बजे तक तकनीकी ई-निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट <http://rpsc.health.rajasthan.gov.in> पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) जमा करवाते हुए ई-निविदा के दिनांक 12.10.2021 दोपहर 12.00 बजे तक तकनीकी ई-निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है।


विशेषाधिकारी, आरएमएससी

प्रपत्र 'अ' तकनीकी ई-निविदा
ई-निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि - 12.10.2021
समय दोपहर 12.00 बजे तक

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क- ₹ 2000/-

वर्ष 2021-23 (अक्टूबर, 2021 से सितम्बर, 2023) में औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर
जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (Inter DDW/MCDW) एवं राज्य से बाहर परिवहन कार्य के
लिए दर सविदा हेतु ई-निविदा प्रपत्र

निविदा क्रमांक :	एफ.40/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/अन्तर DDW परिवहन/2021-23/ दिनांक:
प्रि-बिड दिनांक, समय व स्थान:	27.09.2021 समय अपराह्न 3.00 बजे स्थान कमरा संख्या-205 गाँधी-ब्लॉक, आरएमएससी भवन, स्वास्थ्य भवन परिसर, जयपुर (राज.)
ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारंभ की तिथि	30.09.2021
ई-निविदा विक्रय की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 11.10.2021 सांय 6.00 बजे तक
ई-निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय :	दिनांक 12.10.2021 दोपहर 12.00 बजे तक
ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय :	12.10.2021 समय सांय 04.00 बजे
निविदा प्रपत्र शुल्क	रु. 2000.00 राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के पक्ष में
RISL प्रोसेसिंग शुल्क:	रु. 1000.00 प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय
बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रतिभूति के पेटे राशि रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र

1. औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (Inter DDW/MCDW) एवं राज्य से बाहर परिवहन कार्य के लिए ई-निविदा
2. ई-निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाइन, मोबाईल व ई-मेल सहित
3. फर्म का पेन एवं जी.एस.टी. नम्बर
4. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
5. कार्य का विवरण जिसके लिए ई-निविदा प्रस्तुत की जा रही है

6. किसको संबोधित किया जाना है - प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
7. ई-निविदा सूचना संदर्भ एफ.4(1)/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/अन्तर DDW परिवहन/2021-23/01 दिनांक 22.9.2021
8. ई-निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रु. 2000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या..... दिनांक....., RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION LTD. के पक्ष में देय संलग्न है।
9. परिवहन कार्य हेतु BOQ में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि (LOA) से 24 माह तक के लिए होगी जिसे बिना सहमति 03 माह तक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
10. ई-निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (bid security) राशि के पेटे राशि रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र। (प्रपत्र 'ब')
11. ई-निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. प्रमाण पत्र तथा मार्च 2021 तक जी.एस.टी./कर चुकता प्रमाण पत्र अथवा जी.एस.टी. जमा की रसीद संलग्न है।
12. टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न है (प्रपत्र 'स')। (ई-निविदादाता का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्न ओवर रु. 25.00 लाख होना आवश्यक है।)
13. पेन नम्बर की प्रति।
14. सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो, की प्रति संलग्न की जाए।
15. ई-निविदाकार पंजीकृत ट्रांसपोर्ट/पंजीकृत सोसायटी/कोरियर सेवा प्रदाता हो जिसके पास स्वयं के ट्रक अथवा फर्म के नाम से ट्रक हो एवं वैध ट्रांसपोर्ट का परमिट अथवा पंजीकृत कोरियर सेवा प्रदाता आदि भी हो (प्रपत्र 'द')।
16. पूर्व में परिवहन अथवा कोरियर सेवा कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है (प्रपत्र 'य')।
17. परिवहन हेतु जिला मुख्यालय पर संस्था अथवा सेवा प्रदाता के पास जिलेवार उपलब्ध वाहनों का विवरण मय सम्पर्क सूत्र का नाम, कार्यालय का पता एवं दूरभाष व मोबाइल नम्बर। ई-निविदादाता के सम्बन्ध में सामान्य सूचनाएँ (प्रपत्र 'र') संलग्न है।
18. हम, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई ई-निविदा सूचना संख्या 01 दिनांक 22.09.2021 में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर मय मोहर कर दिए हैं)।
19. ई-निविदादाता फर्म को ई-निविदा के साथ गत तीन वर्षों में परिवहन कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश की प्रति संलग्न करनी होगी।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

LE

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल : rpsc.supply1@gmail.com

CIN : U24232RJ2011SGC035067

Website : <http://rpsc.health.rajasthan.gov.in>

क्रमांक : एफ.4 (1)/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/अन्तर DDW परिवहन/2021-23/01

दिनांक: 22.09.2021

औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (Inter DDW/MCDW) एवं राज्य से बाहर परिवहन कार्य हेतु ई-निविदा एवं अनुबंध की शर्तें

ई-निविदादाता को ई-निविदा में अपनी दरें अंकित करते समय इन शर्तों को बहुत सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिए। यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी ई-निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए। ई-निविदा के निगम में प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी शर्त के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी का निर्णय अंतिम होगा तथा वह ई-निविदादाता को मान्य होगा।

1. ई-निविदा कार्य के विवरणानुसार प्रस्तुत करनी होगी।
 2. ई-निविदा, ई-निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बन्द करके भेजी जानी चाहिए।
 3. ई-निविदा की विधि-ई-निविदाएँ दोहरी ई-निविदा पद्धति के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। तकनीकी ई-निविदा मय टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस, डीडी/बैंकर चेक व बोली प्रतिभूति (bid security) के पेटे घोषणा पत्र एक लिफाफे में सीलबद्ध की जाएगी, जिसके ऊपर "औषधियों/सर्जिकल/सूचर्स आदि के अन्तर जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (Inter DDW/MCDW) परिवहन कार्य हेतु तकनीकी ई-निविदा" लिखा जाएगा। दूसरे में वित्तीय ई-निविदा BOQ में प्रेषित की जाएगी। डीडी/बैंकर चेक/घोषणा पत्र के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी तथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
 4. कॉल्ल्ड चैन व नॉनकॉल्ल्ड चैन के लिए पृथक-पृथक निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
 5. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा और दरें अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिए।
 6. ई-निविदा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय हेतु पंजीकृत फर्म, कम्पनी, संस्था/सोसायटी/पंजीकृत कोरियर सेवा प्रदाताओं द्वारा ही दी जानी चाहिए। इस तथ्य का प्रामाणिक अभिलेख ई-निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ई-निविदाकार के पास स्वयं के ट्रक अथवा फर्म के नाम से पंजीकृत ट्रक हो अथवा परिवहन/कोरियर सेवा की उचित व्यवस्था हो।
 7. ई-निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार के हस्ताक्षर अथवा फर्म की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत किए जाने की स्थिति में पावर आफ अटॉर्नी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ई-निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- ई-निविदाकार कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही ई-निविदा भरी जाएगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृत ई-निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

8. ई-निविदा दिनांक 12.10.2021 को सांय 04.00 बजे उपस्थित ई-निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी। वित्तीय ई-निविदा खोलने की तिथि तकनीकी ई-निविदाओं के मूल्यांकन का कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित की जाएगी जिसकी सूचना सम्बन्धित ई-निविदादाता को दूरभाष/मेल पर दी जाएगी।
9. ई-निविदा खोलने की तिथि से ई-निविदा स्वीकार हेतु 90 दिवस तक वैध रहेगी। इस अवधि में ई-निविदाकार ई-निविदा वापस नहीं ले सकेगा।
10. ई-निविदा दाता अपनी ई-निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को अधिकृत जिला मुख्यालयों स्थित प्रतिनिधि फर्मों के अतिरिक्त न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और ना ही किसी को आगे ई-निविदा पर दे सकेगा।
11. दरें अनुमोदन की तिथि (Letter of Acceptance) से 24 माह (अक्टूबर 2021 से सितम्बर 2023 तक) के लिए मान्य होगी। ये दरें एफ.ओ.आर. राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (Inter DDW/MCDW) एवं राज्य से बाहर के लिए होगी। दरों में लोडिंग/अनलोडिंग चार्ज, स्थानीय एवं गन्तव्य स्थान का स्थानीय भाड़ा, ठेला भाड़ा, सरचार्ज एवं अन्य समस्त व्यय कर/टोल टैक्स, बीमा आदि कोई हो, सभी सम्मिलित करके दरें दी जाएँ। परिवहन कार्य में काम आने वाली समस्त पैकिंग सामग्री सम्बन्धित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) द्वारा दी जाएगी।
12. ई-निविदा में वर्णित दरों के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा। ई-निविदा में दर्शायी गई कार्य की अनुमानित राशि सांकेतिक है। कार्यादेश आवश्यकतानुसार ही जारी किए जा सकेंगे।
13. भेजा जाने वाला सामान अर्थात् औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के सुरक्षित एवं सही मात्रा में बताए गए अथवा निर्देशित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) पर कॉल्ड चैन 02 कार्य दिवस एवं नॉन कॉल्ड चैन औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स के कार्टून 04 कार्य दिवस में परिवहन करना होगा। सामग्री पहुँच का प्रमाण/रसीद (Proof of delivery) प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी को प्रस्तुत करनी होगी। समस्त सामान ई-निविदाकार/ई-निविदाकार फर्म के पंजीकृत ट्रकों/वाहनों/कोरियर सेवा से ही भेजना होगा।
14. कॉल्ड चैन की स्थिति में यदि परिसमापन क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किए गए कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-
 - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि तक के विलम्ब के लिए 5.0%
 - (ख) आधी अवधि से अधिक (पूर्ण अवधि के बराबर) के लिए 10% अन्यथा इससे अधिक विलम्ब/टूट-फूट/सैम्पल खोने की स्थिति में फर्म से उक्त दवा/औषधि का क्रय मूल्य वसूल किया जाएगा।
15. नॉन-कॉल्ड चैन की स्थिति में यदि परिसमापन क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किए गए कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:-
 - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0%
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5%
 - (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणी :-

- विलम्ब की अवधि आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

- स्वीकार की गई निर्धारित परिसमापित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
 - यदि परिवहनकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत परिवहन को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को आवेदन करेगा, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
16. संबंधित कार्यालय जहाँ माल पहुँचाना है, वहाँ से माल प्राप्ति की रसीद (**Proof of delivery**) सक्षम अधिकारी / भण्डारपाल से मय प्राप्ति मुहर एवं दिनांक के प्राप्त होने के उपरान्त ही निगम द्वारा भुगतान किया जाएगा अथवा ई-औषधि सॉफ्टवेयर के अनुसार समस्त निर्धारित प्रविष्टियों की पुष्टि उपरान्त भुगतान किया जावेगा। साथ ही प्रत्येक माह बिल के साथ संलग्न अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। (प्रपत्र 'ल')
 17. सामान निगम के जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) से उठाना होगा। औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि भेजने वाले जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) के भण्डारपाल/प्रभारी अधिकारी, के आदेश देने के 24 घण्टे के अन्दर उठानी होगी एवं प्रमाण (**Proof of receipt**) भी प्रस्तुत करना होगा। निगम के जिला मुख्यालयों स्थित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहों (DDW/MCDW) का विस्तृत विवरण मय प्रभारी अधिकारी एवं दूरभाष प्रपत्र 'ष' के अनुसार है। समस्त सामान ई-निविदादाता की जोखिम पर भेजा जाएगा। गन्तव्य स्थान पर यदि सामान कम पहुँचता है या बिल्कुल नहीं पहुँचता है, टूट फूट के साथ पहुँचता है अथवा कॉल्ड चैन/नॉन कॉल्ड चैन ब्रेक होती है, तो ऐसे सामान की पूर्ण कीमत ई-निविदादाता से वसूल की जाएगी। औषधियाँ एवं अन्य ऐसी सामग्री जिसके अवधि पार होने की संभावना रहती है, आदेशित अवधि में ही पहुँचानी होगी अन्यथा देरी के मामलों में ई-निविदाकार फर्म से सामग्री की लागत की पूर्ण वसूली की जाएगी।
 18. यदि औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि को परिवहन में खराब कर दिया गया, पानी में भीगने दिया या पैकिंग तोड़ दी गई अथवा कॉल्ड चैन ब्रेक की गई, ऐसी परिस्थितियों में नुकसान हुआ तो पूर्ण हर्जाना/कीमत ई-निविदादाता से वसूल किया जाएगा।
 19. सामान के जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) में सम्भलाने के पश्चात् गन्तव्य स्थान तक रास्ते में किसी भी प्रकार की हानि के लिए परिवहनकर्ता/सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी एवं क्षति की स्थिति में सामान की राशि परिवहनकर्ता से वसूली योग्य होगी।
 20. ई-निविदादाता को ई-निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह में नियमानुसार देय 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) बैंकर्स चेक/डी0डी0 के रूप में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के नाम से जमा करवाकर अनुबंध करना होगा। अनुबंध के लिए निर्धारित प्रारूप में एक करार निष्पादित करना होगा। करार को पूर्ण करने तथा उस पर रु. 500/- (नियमानुसार) के स्टाम्प पेपर के व्यय का वहन ई-निविदाकार करेगा तथा निगम को स्टाम्प लगे निष्पादित करार मय गवाह हस्ताक्षर की मूल प्रति निःशुल्क दी जाएगी। यदि ई-निविदाकार कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जमा कराने या निहित काल अवधि में करार नामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो उसको शर्तों का भंग माना जाएगा तथा बोली प्रतिभूति (bid security) जब्त कर ली जाएगी। चूंकि निगम का कीमती सामान अर्थात् औषधियाँ/सर्जिकल्स /सूचर्स आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन हेतु ई-निविदादाता को संभलाया जाता है अतः ई-निविदादाता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
 21. निगम के पास किसी भी ई-निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

22. ई-निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहाँ उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा ताकि जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
23. यदि ई-निविदाकार कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वे ई-निविदाकार को कोई सूचना दिए बिना उसकी जोखिम (Risk and cost) पर कार्य सम्पन्न कराएँ। ई-निविदाकार इसके परिणामस्वरूप निगम द्वारा किए गए जाने वाले समस्त खर्च एवं निगम की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। ई-निविदाकार के हर्जे खर्च एवं जोखिम पर कार्य कराते समय निगम द्वारा प्रधाधिकृत अधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।
24. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत ई-निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली ई-निविदाकार द्वारा जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) में से तुरन्त कर ली जाएगी। यदि इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमान अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन की जाएगी।
25. ई-निविदाकार को देय भुगतान में से नियमानुसार आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत कर के रूप में निगम द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जाएगा। ई-निविदाकार के आवेदन पर निगम द्वारा नियमानुसार आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
26. किसी भी कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किए जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर (राजस्थान) स्थित न्यायालयों में ही की जानी होगी अन्य स्थान पर नहीं।
27. संविदा की समयावधि बिना सहमति 03(तीन) माह बढ़ाई जा सकेगी।
28. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा जो शर्तें उक्त शर्तों में सम्मिलित होने से रह गई हैं वे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।
29. यदि उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाना पाया गया तो बिना पूर्व सूचना दिए संविदा को निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त कर ली जाएगी।
30. अन्य किसी विवाद की स्थिति में उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 68 में उल्लेखित शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार एवं समय-समय पर प्रचलित नियम एवं शर्तें मान्य होगी।
31. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** - बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-
- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;
- (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और
- (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्याधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

15

32. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

33. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
 - (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
 - (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
 - (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
 - (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के

विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं यदि,—

- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और ना ही संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

34. उपापन प्रक्रिया के दौरान अपीलों/शिकायतों का निस्तारण — प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एवं अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 अपील:— (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिवस की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘श’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. **अपील का प्रारूप** - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र - 'श') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।
 - (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
 - (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
2. **अपील फाइल करने के लिए फीस** - (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
 - (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
3. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** - (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
 - (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
35. विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी का निर्णय अन्तिम होगा व ई-निविदादाता को मान्य होगा।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित



Form of Bid-Securing Declaration

Date:

Bid No. :

Alternative No. :

To:

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed.:-----

Name :-----

In the capacity of :-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:

Dated on day of

Corporate Seal -----

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid,]

८५



वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्मका विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की सत्यापित Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1	2018-19	
2	2019-20	
3	2020-21	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

या

क्र.सं.	वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1	2017-18	
2	2018-19	
3	2019-20	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या



ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस परिवहन कार्य के लिए ई-निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड पंजीकृत ट्रान्सपोर्ट/पंजीकृत सोसायटी/विपणन एजेंट हूँ/पंजीकृत कोरियर सेवा प्रदाता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा ई-निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

८८




ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने परिवहन/कोरियर सेवा का कार्य जहाँ कही भी किया है, उस कार्य में विगत 3 वर्षों में कार्य समय पर पूर्ण न होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमारा किसी भी न्यायालय में परिवहन कार्य के सन्दर्भ में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

८५



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन
ई-निविदादाता के सम्बन्ध में सामान्य सूचनाएँ

श्रेणी जिसके लिए ई-निविदा प्रस्तुत की जा रही हैं-

1.	ई-निविदादाता	
2.	ई-निविदादाता फर्म/कम्पनी का नाम व पंजीकरण प्रमाण पत्र कार्यालय का पता	
3.	पता ई-मेल वेबसाइट	
4.	सम्बन्धित व्यक्ति का नाम पद मोबाईल नम्बर दूरभाष नम्बर फैक्स ई-मेल	
5.	फर्म पंजीकरण संख्या एवं दिनांक एवं PAN नम्बर	
6.	GST नम्बर	
7.	नियम/अधिनियम जिसके तहत पंजीकृत है	
8.	प्रकार (लिमिटेड, प्राईवेट लिमिटेड, साझेदारी फर्म, प्रोपराईटरी फर्म आदि)	
9.	टर्न ओवर (राशि लाखों में) 2018-19 या 2017-18 2019-20 या 2018-19 2020-21 या 2019-20	
10.	राजस्थान के कितने जिलों में स्वयं के कार्यालय हैं (सूची संलग्न करें)	
11.	सम्भाग के कितने जिलों में स्वयं के कार्यालय हैं (सूची संलग्न करें)	

12.	राजस्थान में ऐसे कितने जिला मुख्यालय हैं जहाँ कम्पनी/फर्म के स्वयं के कार्यालय नहीं हैं किन्तु अधिकृत एजेन्सी/फर्मों के माध्यम से परिवहन कार्य करवाया जाएगा (सूची संलग्न करें)	
13.	सम्भाग में ऐसे कितने जिला मुख्यालय हैं जहाँ कम्पनी/फर्म के स्वयं के कार्यालय नहीं हैं किन्तु अधिकृत एजेन्सी/फर्मों के माध्यम से परिवहन कार्य करवाया जाएगा (सूची संलग्न करें)	
14.	ई-निविदादाता कम्पनी/फर्म या उसके किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/नहीं है।	
15.	वाहनों का विवरण	
(i)	स्वयं के (संख्या)	
(ii)	अनुबन्धित (संख्या)	
16.	अन्य कोई सूचना	

दिनांक :

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

८५

UNDERTAKING


This is to certify that Bill no..... (For Month) All consignments / packets have been delivered on time as was decided during the contract finalization, we request you to accept this letter as our confirmation and undertaking of delivery.

We are assuring you in case any consignments, packet arising loss and damage during transit, we will be completely responsible. RMSCL shall be entitled to deduct the charges of such losses from our payables.

Kindly release the payment.

Thanks & regards

←



Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- (i) Name of the appellant:
- (ii) Official Address, if any:
- (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

- (i)
- (ii)
- (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....
.....

Place Date

Appellant's Signature

LA



CAUTION : USE 'FCIMBR' MENU OPTION IN PINACLE INSTEAD OF 'TM'
 Bank Copy

punjab national bank

DIST. NO.

Branch
 Institute Name
 Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur
 Institute ID
 RMSCJ - A/c No. 2246002100024414

Date of Deposit DD MM YY

DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name
 Tender Ref. No.
 Type of Deposit
 Mobile No.
 Select any one out of - Tender Fees/EMD/SD/Tender Processing Fees/Others

Cash Deposit:

Denomination	₹	Ps
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Coins *		
Total		

Cheque Deposit:

Chq No	Date of Chq	Name of Bank	₹	Ps

Total fee payable ₹
 Commission ₹
 Total amount ₹

0	0	0	0	0

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor
 Signature
 Address for communication

Acknowledgement

For Bank use only

Cashier/Officer

Customer Copy

punjab national bank

DIST. NO.

Branch
 Institute Name
 Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur
 Institute ID
 RMSCJ - A/c No. 2246002100024414

Date of Deposit DD MM YY

DETAILS OF THE SUPPLIER

Supplier Name
 Tender Ref. No.
 Type of Deposit
 Mobile No.
 Select any one out of - Tender Fees/EMD/SD/Tender Processing Fees/Others

Cash Deposit:

Denomination	₹	Ps
1000 *		
500 *		
100 *		
50 *		
20 *		
10 *		
5 *		
Coins *		
Total		

Cheque Deposit:

Chq No	Date of Chq	Name of Bank	₹	Ps

Total fee payable ₹
 Commission ₹
 Total amount ₹

0	0	0	0	0

Amount (in words): ₹

Name of the Depositor
 Signature
 Address for communication


Acknowledgement

For Bank use only

Cashier/Officer

पुनज नॅाँक

77




निगम के जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) का विस्तृत विवरण
(अधिक/नवीनतम जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट देखें)

S. NO	DISTRICT	ADDRESS OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE	NAME OF (OFFICER-IN-CHARGE)	OFFICE CONTACT NO.	MOBILE NO.	EMAIL
1	Ajmer	Near Janana Hospital, Railway crossing, Pushkar bypass road, Ajmer	Dr. Mohit Deval	0145-2970119	9983766448	DPCDDW.AJMER@RAJASTHAN.GOV.IN
2	Alwar	Old T.B. Hospital, Mugska, Old Delhi road, Alwar 301001	Dr. Chhabil Kumar	0144-2908814	6376233484	dpcalwar@gmail.com
3	Banswara	C/O M G Hospital Banswara 327001	Dr. Amit Sharma	02962-294490	9636465888	DDW.BANSWARA@RAJASTHAN.GOV.IN
4	Baran	Govt. Hospital campus, Baran	Dr. Pradeep Singh	07453-232218	7300149942	dpccbaran2@gmail.com
5	Barmer	Near Swasthya Bhawan, Rai colony road BARMER 344001	Dr. Bhawani Shankar Gahlot	02982-230771	9772205610	DPC.DDW.BARMER@RAJASTHAN.GOV.IN
6	Bharatpur	Behind R. B. M. Hospital, Bharatpur 321001	Dr. Sunil Kumar Sharma	05644-220869	9414268794	dpccbharatpur1@gmail.com
7	Bhilwara	M.G. Hospital Campus, Bhilwara-311001	Dr. Ashok Khatwani	01482-237609	9414115995	DPCDDW.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN
8	Bikaner	P.B.M Hospital Campus, Behind rajkiya haldiram mulchand heart hospital Opposite medical college road, Bikaner-334001	Dr. N.K. Gupta	0151-2970313	9667411222	dpccbikaner1@gmail.com, ddw-bik-rj@gov.in
9	Bundi	C/O Chief Medical & Health office Campus Bundi	Dr. Suresh Chand jain	0747-2940233	9829680813	dpccbundi@rajasthan.gov.in
10	Chittorgarh	Behind FCI seeds Godown, Panchwati, Senth, Chittorgarh-312001	Dr. Devi lal Dhakad	01472-294054	9001990209	DPCDDW.CHITTOR@RAJASTHAN.GOV.IN
11	Churu	District Drug Warehouse Behind collectorate, Opposite Nursing Training Centre, shekhawat colony churu PIN CODE 331001	Dr. Rasid	01562-250792	9636089689	dpccdw.churu@rajasthan.in
12	Dausa	Swasthya Bhawan, near collectory chauraha, Dausa-303303	Dr. Sandeep Sarda	01427-294173	7891510009	dpccdw.dausa@rajasthan.gov.in dpccdausa@gmail.co
13	Dholpur	Old CM&HO Office Opposite Kotwali, Dholpur-328001	Dr. Shiv Kumar Sharma	05642-221622	8302670387	DPCDDW.DHOLPUR@RAJASTHAN.GOV.IN
14	Dungarpur	DISTRICT DRUG WAREHOUSE IN FRONT OF CMHO OFFICE OLD HOSPITAL CAMPUS DUNGARPUR	Dr. Yogesh Kumar Saini	02964-230213	9543283768	dpccdungarpur@gmail.com

15	Ganganagar	NH-15, Near Civil Hospital, Suratgarh road, Sri Ganganagar-335001	Dr. Ajay Kumar Singla	0154-2463338	9414873243	dpcganganagar2@gmail.com
16	Hanumangarh	Near Zil Parisad, Hanumangarh Junction, hanumangarh-335512	Dr. Kuldeep Singh Brar	01552-261176	9680004383	DPCDDW.HANUMAN GARH@RAJASTHAN.GOV.IN, dpchanumangarh@yahoo.co.in
17	Jaipur I	CM&HO Office, Sethi colony, jaipur	Dr. Satish Kumar Garg	0141-2603468	9460963372	oicddwjpr@gmail.com
18	Jaipur II	CM&HO Office, Sethi colony, jaipur	Dr. Ram Baboo	0141-2605954	8005802585	dpc2jaipur@gmail.com
19	Jaisalmer	CM&HO office Swasthya Bhawan, Dadansar road, Jaisalmer-345001	Dr. Babulal Bunker	02992-294118	9414761318	DPCDDW.JAISALMER@RAJASTHAN.GOV.IN
20	Jalore	CM&HO office, Swasthya Bhawan Bagra road, Infront of Mamaji ke thaan, jalore	Dr. Bhajanaram	02973-225864	9772590300	dpcjalore1@gmail.com
21	Jhalawar	ANM Training Center, Swasthya Bhawan Campus, Motor Garage road, Jhalawar-326001	Dr. Ravi Kumar Verma	07432-232160	7597300584	dpcddw.jhalawar@rajasthan.gov.in
22	Jhunjhunu	BDK Hospital Campus, Road no. 2, Near Ashoka Hotel, Jhunjhunu-333001	Dr. Jitendra Singh	01592-232674	9928324700	DPCDDW.JHUNJHUNU@RAJASTHAN.GOV.IN
23	Jodhpur	Old CMHO Office, Near Jhalamand Circle, Old Pali Road, Jodhpur Rajasthan 342013	Dr. Rakesh Kumar Passi	0291-2721196	9982941444	DPCDDW.JODHPUR@RAJASTHAN.GOV.IN
24	Karauli	Near New Jail, Mandrayai Road, Karauli-322241	Dr. Devendra Sharma	07464-297034	9462022141	dpckarauli1@gmail.com
25	Kota	Anantpura, Pathar Mandi, Kota	Dr. Alok Sharma	0744-2940777	9413351596	DPCDDW.KOTA@RAJASTHAN.GOV.IN;
26	Nagaur	Swasthya Bhawan, Hawai patti, Nagaur-341001	Dr. Rajesh Parashar	01582-245564	9214872610	dpcnagaur@gmail.com
27	Pali	Swasthya Bhawan, Near RTO Office, Jodhpur road, Pali	Dr. Vijendra Pal Singh	02932-256361	7014882810	dpcpali@gmail.com

28	Pratapgarh	District Hospital Campus, Banswara Road, Pratapgarh - 312605	Dr. Dilkhush Meena	01478-225202	8058553194	DPCDDW.PRATAPGARH@RAJASTHAN.GOV.IN
29	Rajsamand	New Collectory road, Near Tehsil Office, Rajsamand-313326	Dr. Anil Jain	02952-224050	9784642587	DPCDDW.RAJSAMAND@RAJASTHAN.GOV.IN
30	S. Madhopur	CM&HO office, Near General Hospital, sawai Madhopur	Dr. Dileep Meena	07462-233198	9413380862	DPCDDW.SWM@RAJASTHAN.GOV.IN
31	Sikar	Jhunjhunu bye pass road, Near Shyosinghpura housingboard, Sikar-332001	Dr. Ashok Kumar Maharia	01572-248089	9829219111	ddwsikar1@gmail.com
32	Sirohi	Swasthya Bhawan, CM&HO office, Sirohi-307001	Dr. Sanjay Gehlot	02972-220068	9772656856	DPCSIROHI.MH@RAJASTHAN.GOV.IN
33	Tonk	District Drug Ware House Tonk, CM&HO Campus, Subhash bazar, Tonk-304001	Dr. Devpraj Meena	01432-294565	9414034676	DPCDDW.TONK@RAJASTHAN.GOV.IN
34	Udaipur	Near T.B. sanitorium, Post office Badi, Udaipur	Dr. Mohan Singh Dhaked	-	8764145830	dpcddw.udaipur@rajasthan.gov.in
35	MCDW Ajmer	Near Bajranggarh Circle, Behind JLN Hospital, Opp. Sharda Diagnostics Centre, Mortuary Road, JLN Hospital Campus AJMER	Dr. Hemeshwar Harshwardhan	0145-2970164	9828288988	OICMCDW.AJM@RAJASTHAN.GOV.IN
36	MCDW Bikaner	Behiend Geriatric Hospital, PBM Hospital Campus, Ambedkar Circle, Bikaner	Dr. Gauri Shankar Joshi	-	9414428765	OICMCDW.BKN@RAJASTHAN.GOV.IN
37	MCDW Jodhpur	Medical College DrugWare House, Opp. Central Lab Mathura Das Mathur Hospital Campus, Shastri Nagar, Jodhpur	Dr. Rakesh Pasi	0291-2940860	9982941444	OICMCDW.JODHPUR@RAJASTHAN.GOV.IN
38	MCDW Udaipur	Near Sahariya Dharamshala, Maharana Bhopal Hospital Campus, Chetak Circle, Udaipur	Dr. Deepak Sethi	0294-2428568	9414248134	mcdw.udaipur@rajasthan.gov.in
39	MCDW Kota	Behind cottage quarters, MBS Hospital Campus, Nayapura, Kota	Dr. Sushil soni (add.charge)	0744-2321362	9414237805	OICMCDW.KOTA@RAJASTHAN.GOV.IN
40	MCDW Jaipur	Medical college drug warehouse, adinath nath marg c- scheme, jaipur near trauma center SMS Medical College	Dr. Vinay Raj Joshi	0141-2361576	8368628046	oicmcdwjaipur@gmail.com

LL



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

राजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल : rpsc.supply1@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : http://rpsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.4 (1)/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/अन्तर DDW परिवहन/2021-23/01

दिनांक: 22.09.2021

BOQ प्रारूप

ई-निविदा प्रपत्र

1. औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (Inter DDW/MCDW) एवं राज्य से बाहर परिवहन हेतु ई-निविदा
2. ई-निविदा दाता का नाम व डाक का पूरा पता :
3. सम्बोधित : प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
4. संदर्भ : ई-निविदा सूचना क्रमांक : 01 दिनांक 22.09.2021
5. परिवहन की जाने वाली औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि की दरें निम्नानुसार हैं :-

I. कॉल्ड चैन औषधियों/सामग्री आदि के कार्टन के परिवहन की दरें

क्र०सं०	वजन (प्रति कार्टन/पैकेट)	राज्य के अन्दर स्थित समस्त DDWs/MCDWs हेतु दर प्रति कार्टन/पैकेट समस्त करों एवं आनुषंगिक व्यय सहित	
		अंको में (₹)	शब्दों में (₹)
1	प्रति कार्टन/पैकेट दर राशि रु.	As per BOQ	

II. नॉन कॉल्ड चैन औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के कार्टन के परिवहन की दरें

क्र०सं०	वजन (प्रति कार्टन/पैकेट)	राज्य के अन्दर स्थित समस्त DDWs/MCDWs हेतु दर प्रति कार्टन/पैकेट (Except Same city) समस्त करों एवं आनुषंगिक व्यय सहित	
		अंको में (₹)	शब्दों में (₹)
1	0 से 5 किलो तक वजन	As per BOQ	
2	5 किलो से 10 किलो तक वजन		
3	10 किलो से 20 किलो तक वजन		
4	20 किलो से अधिक वजन		

क्र०सं०	वजन (प्रति कार्टन/पैकेट)	राज्य के अन्दर स्थित समस्त DDWs/MCDWs हेतु दर प्रति कार्टन/पैकेट (For same city) समस्त करों एवं आनुषंगिक व्यय सहित	
		अंको में (₹)	शब्दों में (₹)
1	0 से 5 किलो तक वजन	As per BOQ	
2	5 किलो से 10 किलो तक वजन		
3	10 किलो से 20 किलो वजन		
4	20 किलो से अधिक वजन		

क्र०सं०	वजन (प्रति कार्टन/पैकेट)	राज्य के बाहर अन्यत्र स्थान हेतु दर प्रति कार्टन/पैकेट समस्त करों एवं आनुषंगिक व्यय सहित	
		अंको में (₹)	शब्दों में (₹)
1	0 से 5 किलो तक वजन	As per BOQ	
2	5 किलो से 10 किलो तक वजन		
3	10 किलो से 20 किलो वजन		
4	20 किलो से अधिक वजन		

6. दर्शाई गई दरें अनुमोदन की तिथि (Letter of Acceptance) से 24 माह तक वैध रहेगी, जिसे बिना सहमति के 03 माह तक बढ़ाया जा सकता है।
7. उक्तानुसार अंकित कार्य के विवरणानुसार दरें दो कार्यों के लिए अथवा दोनों में से किसी एक कार्य के लिए भी दी जा सकती है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

८८